तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	02/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है, पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/06/24 को पेश हों।	
	13/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 22/8/24 को पेश हों।	
	22/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/10/24 को पेश हों।	
23/10/24	वकील प्रार्थी अपन वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो।	
	25/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. P.O सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/1/25 को पेश हो।	
	13/1/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो।	
	मुकदमा नम्बर– 80 / 2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023 / 32 मूला वगै0 बनाम रामसहाय वगै0	
24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। उक्त पत्रावली में उभय पक्षो को न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 17:10:26 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद मुकदमा संख्या 77/2023 में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 06.04.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्नं हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.04.22 17:10:26 IST
Reason: SelfAttested